न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 196 / 2020 **दायर दिनांकः 2.12.2020**

उनवान

1. पानाचन्द आयु 75 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या।
2. पार्वती पुत्री कन्हैयालाल पत्नी शंकर लाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या तहसील अटरू जिला बारां हाल मूल्याहेडा तह0 सांगोद जिला कोटा राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट
एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

आदेश दिनाकः 22 / 03 / 2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल नोहल्या तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार खाता संख्या 105 की ख0नं0 154 की 0.51 है0, ख0नं0 159 / 483 की 0.06 है0, ख0नं0 160 की 0.15 है0 , ख0नं0 161 की 0.09 है0, ख0नं0 268 की 0.07 है0 , ख0नं0 269 की 0.10 है0, ख0नं0 274 की 0.11 है0, ख0नं0 275 की 0.11 है0 , ख0नं0 276 की 0.08 है0, ख0नं0 277 की 0.07 है0, ख0नं0 278 की 0.07 है0, ख0नं0 348 की 0.20 है0, ख0नं0 361 की 0.20 है0 , ख0नं0 362 की 0.20 है0, ख0नं0 363 की 0.20 है0, ख0नं0 364 की 0.18 है0, ख0नं0 365 की 0.20 है0, ख0नं0 366 की 0.22 है0 , ख0नं0 383 की 0.01 है0, ख0नं0 384 की 0.07 है0, ख0नं0 385 की 0.28 है0, ख0नं0 386 की 0.27 है0, ख0नं0 387 की 0.30 है0, ख0नं0 389 की 0.17 है0, ख0नं0 390 की 0.25 है0 कुल 25 किता का रकबा 4.17 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादी क्रम 1 का हिस्सा 1 / 15 व वादी क्रम 2 का हिस्सा 1 / 15 दर्ज खाता चला आ रहा है। ग्राम एवं माल नोहल्या में ही खाता सं. 104 की ख0नं0 246 की 0.08 है0, ख0नं0 247 रकबा 0.04 है0 कुल दो किता रकबा 0.12 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें वादी क्रम 1 का हिस्सा 1 / 4 दर्ज खाता चला आ रहा है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वादी क्रम 1 का नाम पानाचन्द पुत्र कन्हैयालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:57:55 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज चला आ रहा है लेकिन वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित भूमि में वादी क्रम 1 का नाम पानाचन्द के बजाय लक्ष्मीनारायण दर्ज कर दिया तथा वादी क्रम 2 का पार्वती के स्थान पर ग्यारसीबाई पुत्री कन्हैयालाल दर्ज कर दिया। वादी क्रम 1 व 2 आपस में भाई–बहिन है। वादी क्रम 1 वाद पत्र की मद नं0 2 में लक्ष्मीनारायण के स्थान पर पानाचन्द दुरूस्त करवाकर तथा वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादी क्रम 2 ग्यारसीबाई के स्थान पर पार्वती खाते में दुरूस्त करवाकर दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त त्रुटी राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुई है। वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की नकले मिलने पर श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू से नाम में दुरूस्ती के लिये निवेदन किया तो उनने माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। वादीगण का खाते में नाम गलत दर्ज होने से वादीगण बैंक से ऋण प्राप्त नही कर पा रहे है और न ही भूमि को रहन बेचान कर पा रहे है। वादीगण को बहुत परेशानियों का सामना करना पड रहा है। बिना सहायता न्यायालय इसको दुरूस्त करवाया जाना सम्भव नहीं है। इसलिये वादीगण इस आशय की घोषणा करने के अधिकारी है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में ग्यारसीबाई पुत्री कन्हैयालाल के स्थान पर पार्वती पुत्री कन्हैयालाल तथा वाद पत्र की मद नं. 2 में लक्ष्मीनारायण पुत्र कान्हा के स्थान पर पानाचन्द पुत्र कन्हैयालाल दुरूस्ती की घोषणा करवाकर खाते में दर्ज करवाने के अधिकारी है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 24.11.2020 को राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त होने पर इस तथ्य की जानकारी होने पर तथा श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। वाद में वर्णित भूमि ग्राम नोहल्या तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण में पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि :–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में ग्यारसीबाई के स्थान पर पार्वती पुत्री कन्हैयालाल तथा वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित भूमि पर लक्ष्मीनारायण पुत्र कान्हा के स्थान पर पानाचन्द पुत्र कन्हैयालाल की घोषणा की जाकर खाते दुरूस्ती करवाई जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कराया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:57:55 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत pw1 से pw2 के शपथ पत्र पेश किये गये तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी गई अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में ग्यारसीबाई के स्थान पर पार्वती पुत्री कन्हैयालाल तथा वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित भूमि पर लक्ष्मीनारायण पुत्र कान्हा के स्थान पर पानाचन्द पुत्र कन्हैयालाल की घोषणा की जाकर खाते दुरूस्ती करवाई जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे तथा प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम नोहल्या की खाता सं0 105 में किता 25 रकबा 4.17 है0 में वादीगण ग्यारसीबाई पुत्री कन्हैयालाल दर्ज है। इसी प्रकार खाता सं0 104 किता 2 रकबा 0.12 है0 में लक्ष्मीनारायण पुत्र कान्हा वादीगण के नाम दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड परिवार राशन कार्ड में पानाचन्द पुत्र कन्हैयालाल, आधार कार्ड, पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग, व कार्यालय ग्राम पंचायत सकतपुर का प्रमाण पत्र अनुसार पानाचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ ग्राम नोहल्या का रहने वाला है इस नाम का कोई और व्यक्ति नही है। लक्ष्मीनारायण उर्फ पानाचन्द पुत्र कन्हैयालाल को दोनों नामों से बुलाया जाता है। अभिभाषक वादीगण द्वारा वादी क्रम 2 के संबंध में कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है । अतः वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

—ःक्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, विवादित भूमि ग्राम नोहल्या की खाता संख्या 104 की कुल 2 किता रकबा 0.12 है0 भूमि में वादी क्रम 1 का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र कान्हा के स्थान पर पानाचन्द उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैयालाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:57:55 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 196 / 2020

उनवान

1. पानाचन्द आयु 75 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या।
2. पार्वती पुत्री कन्हैयालाल पत्नी शंकर लाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या तहसील अटरू जिला बारां हाल मूल्याहेडा तह0 सांगोद जिला कोटा राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट
एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................
बहाजिर :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक भगवान स्वरूप मंगल।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित भूमि ग्राम नोहल्या की खाता संख्या 104 की कुल 2 किता रकबा 0.12 है0 भूमि में वादी क्रम 1 का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र कान्हा के स्थान पर पानाचन्द उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैयालाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X..................................
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 22.03.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	[illegible] वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	[illegible]र्चा ग[illegible]न	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:57:55 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)